



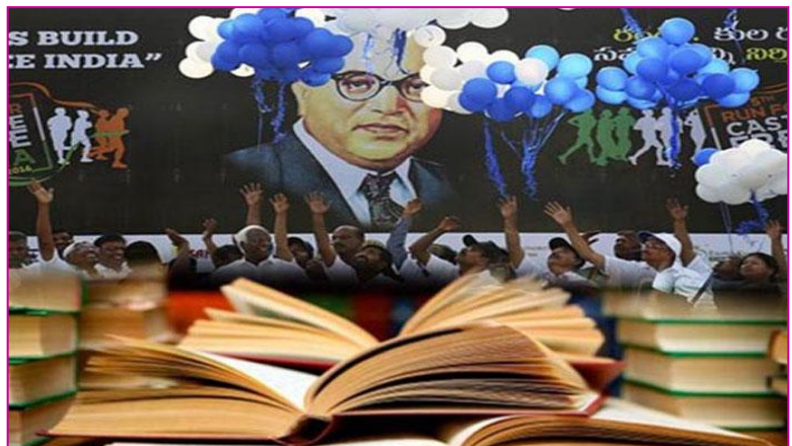
“मानव अधिकर-दलित साहित्य के संदर्भ में”

डॉ. नीता भोसले

सह प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणि महाविद्यालय, कमलापूर.

मनुश्नुय एक समाजिक प्राणी है । सकत है । इसी लिए डॉ. “आमने-सामने के श्रीमुख समाज में रहकर वह अपने व्यक्तित्व बाबा साहेब अंबेडकर जी ने मिश्र कहते हैं- “पहले ये करो का विकास करना चाहता है । वह तभी शिक्षा संघटन और संघर्ष अपने बाल-बच्चों को पढ़ने संभव हो जाता है जब उसके इन तीनों द्वारा मानव भेजो, बच्चे किसी भी अन्तर्निहित शक्तियों को प्रस्फूटीत अधिकार के महत्व को व्यक्ति और समाज के लिए करने के लिए उसे सुनिश्चित अवसर बताये हैं । एक कच्चा माल है, और प्राप्त हो। उसे पाकर वह अपने शिक्षा का अधिकार सुरक्षा उन्हीं पर समाज की प्रगति व्यक्तित्व का विकास करता है, का अधिकार है, जिसमें सोच को गतिशीलता टिकी जिसमें उसके अपने जीवन मूल्य आर्थिक संरक्षण निहित है। हुई होती है, तो पध्आओ निहित होते हैं, जिन्हें पाने के लिए शिक्षा के व्दारा वैचारिक अपने बेटों-बेटों को।” उसे अनेक संघर्ष करने पडते हैं । और संवीदानात्मक सोच पितृसत्ता के चलते भारतीय अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और चिंतन में परिवर्तन आ परिवार में बच्चे शिक्षा से पडता है। जिसे हम मानव अधिकार जाता है। जो जीवन के वंचित रह जाते हैं । आज कहते हैं । मानव अधिकार का तात्पर्य तथ्यों को भी बदलकर रख की युग में यह ज्वलंत उन मौलिक अधिकारों से जो मनुष्य देते हैं। इसी संदर्भ में समस्या हमारे सामने जन्म से उसके अधिकारी है ।

मानव अधिकार वह है जो व्यक्ति में लिंग भेद, भाषा भेद और धर्म भेद होते हुए भी सभी को समान है । मानव अपने इस अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देता है । शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति लड़



उभरकर ल आयी है। आज शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन आ जाता है। शिक्षा के द्वारा वैचारिक और संवेदनात्मक सोच और चिंतन में परिवर्तन आ जाता है। जो जीवन के तत्त्वों को ही बदल कर रख देता है। परिणामस्वरूप समाज सपेक्ष जो मान्यताएँ हैं उसे धड़ल्ले से उखाड़ फेंकने के हिम्मतल आती है। “आमने-सामने” का चंदु पांडे को धमकाते हुए श्रीमुख मिश्रा कहते हैं - “कुछ भी बातें हो पण्डे जी, लेकिन अब इस गाँव में, इस स्कूल में किसी के साथ भेद-भाव बरतना नहीं जाएगा। सभी को समान अधिकार प्राप्त है। आप कौन हैं, संस्कार चलानेवाले, छुआ-छूत के पेड़ को पसारनेवाले आप नहीं मानेंगे तो इसकी रिपोर्ट होगी और इसमें शयद आप की मास्टरी भी जा सकती है। स्कूल एक सार्वजनिक चीज है, आप भी हैं यहाँ और आपके द्वार किया गया ये खैय्या कायेदा- कानून के दयरे में आ जाएगा।” समाज के बदलते हुए यह सामाजिक मूल्य मानव में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भर देते हैं परिणाम स्वरूप बदलाव के कारण बदलाव की उत्प्रेक्षक शक्ति तेजी से बढ़ जाती है, जो साहित्य में सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रेरक बन जाते हैं। यह हमें प्रत्येक्ष या कभी अप्रत्येक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। साहित्य संवेदनशीलता और समाजशास्त्रीय समीक्षा का सृजनात्मक समागम हमें डॉ. सुशील टाकभौर के कहानी सिलीया के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देती है - “उसकी आँखों में एक चमक थी हीनता और दीनत का भाव तो न जाने कब के जा चुके थे ?” वह मन ही मन सोच रही थी “झाड़ नहीं कलम” हाँ कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा वह खूब पड़ेगी। सम्मान के उच्छ शिखर पर पहुँचेगी, वह एक चिंगारी है, जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगती के मार्ग को प्रकाशित करेगी।

मानव जाती का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। मानव अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करता चला आ रहा है। यह संघर्ष उसका अपना वैयक्तिक होते हुए भी समाज सापेक्ष है। सामाजिक असमानता इसका मूल कारण है, जहाँ संघर्ष है वहाँ अधिकार की माँग की जाती है, यह अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, जो सामाजिक समानता लाने के लिए बाध्य करते हैं। यह संघर्ष संघठित होकर किया जाता है, जो विद्रोहात्मक है, इस विद्रोह की अभिव्यक्ति हमें लेखक - “आराम निहोर विमल” की कहानी अब नहीं नाचब के माध्यम से व्यक्त चामारों के प्रधान सरपंच ने खड़े होकर सबको संबोधित किया - “पंचगण सुनो पंचायत का मानना है कि शेर सिंह का गेंहूँ, चावल लेकर, कन्हई भगत के घर खुद पहुँचा जाना-हम पंचों की जीत है। इसी के लिए हमारी लड़ाई शुरू हुई थी... सभी पंचगण इस बात का संकल्प करले कि हमें उगी, झूठ और जाल साजी के हाथ की कठपुतली बनकर, उसकी लुट-खसोट का शिकार नहीं होना है। संकल्प ले कि, हमें इस गेंहूँ वाली लड़ाई की तरह एक जूट होकर समान अधिकार और न्याय के साथ जीना है।” अपने अधिकारों के प्रति सजगता की लड़ाई लड़ना है।

मानव अधिकार से जुड़े हुवे सवाल हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि हम अपने अधिकारों के नैतिक मूल्यों, के लिए सजग उठें। व्यक्ति अथवा समूह के इन्हीं माँगों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जिस से मानव जाति की उन्नति होती है। ऐसे माँगों को कभी

अधिकर की मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो। नैतिक तथा सदाचार के आधार पर ही कोई माँग अधिकार का रूप ग्रहण कर सकती है। समाज व्दारा नैतिक पतन को स्वीकारते हुवे, अपने नैतिक आचरण के व्दारा सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अस्मिता लहु लूहान का चन्दर कहता है ! बहन तुम ने मुझे वह ज्ञान दिया, जिसकी आज तक मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे विदा दो तुम्हें मैं उस नरक से निकालूँगा तुम कुच छोटा सा रोजगार करो, तुम्हारी जैसी ज्ञानवन स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी” मानव अधिकार में उसके कर्तव्य भी जुटे होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अधिकार को प्राप्त कर लेता है तो उसका आद्य कर्तव्य होता है कि वह अपनों के प्रति अपने, कर्तव्य को भी समझे, उन्हें मदद करें, यही कर्तव्य पारायणता हमें - “जीने का अधिकार माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए हमें दिखाई देता है-घंसुबोका तुम नीच जाती के कहे जानेवाले लोग गाँव में इतनी अधिक हो और उँच जाती का ढोंगा रचनेवाले मुट्ठी भर, फर्क इतना है कि तुम डरपोक हो। असंघटित हो, अशिक्षित हो, इसलिए अपने अंदर से इन बुराईयों को निकालो... तुम भी उन्हीं की तरह इंसान हो पशु नहीं इसलिए तुम्हें भी इन्हीं की तरह जीने का हक है। अपने आप को पहचानो अपनी ताकतों को जानो।”

इसीलिए शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार है, किन्तु इन अधिकारों के प्रति सजग न होने के कारण उसे अधिकारों के प्रति लडना पड़ता है। इसलिए 'आरक्षण का बिज्जू कहत है। पिताजी बाबा साहेब ने लिखा है - “शिक्षित बनो, जिसका मतलब है खूब पढ़ाई-लिखाई करो, संघटित बनो, अर्थात् मजदूरों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। संघर्ष करो और सब मिलकर अपने अधिकार के लिए माँग करनी चाहिए। यह संघर्ष उसका अपना वैयक्तिक न होते हुए समाज सापेक्ष है। मानव अधिकार के प्रतीक जागृति लाने के लिए साहित्य एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज में जो घटना है वही साहित्य में दिखाई देता है। साहित्य मानवीयता को परखने तथा उसमें प्रतिबद्ध होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठा है यही मानव अधिकार है। जिसे दलित लेखक ने अपने साहित्य दर्पण में उजागर करने का प्रयास किया है।

इन्हीं मन्यताओं को दलित लेखकों ने अपने साहित्य के व्दारा जागृति लाने का प्रयास किया है। अपनी अस्मीत की नारी जमीन तलाशने का प्रयास किया है, यही उनका वजूद है। यही मानव अधिकार है।

साहित्य मानवियता को परखने का सशक्त माध्यम है, एक और पारंपरिक सोच तत्कालीन समाज तथा उसके प्रति साहित्य की प्रतिबद्धता तथा उससे जुड़े प्रतिबंध को समझने तथा नये सोच लाने का प्रयास करता है, यही मानव अधिकार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. समकालीन दलित कहाँनिया, लेखक-डॉ. कुसुम वियोगी
२. नयी सदी की पहचन श्रेष्ठ दलित कहानियाँ - सं. मुद्रा राक्षस

-
३. मानव अधिकार और भारतीय संविधान-संरक्षण एवं विश्लेषण, प्रदीप त्रिपाठी
 ४. साहित्य वैभव-प्रथम पी.यू.सी. पठ्यपुस्तक.